

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,
राजपुर प्रदेस लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 14-8-2020

-कार्यालय प्रारंभ-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय कार्यालय और इन्फिन्स, नई दिल्ली द्वारा सन् 2020-21 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, लखनऊ राजपुर प्रदेस की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन् 2020-21 हेतु प्राथमिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शन/प्रवेश समता युक्ति सहित अन्य बातें पर विचार करते हुए सन् 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद्-2 में विद्यार्थी इन इच्छित पारदर्शन सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रेषण विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

"सिद्धी क्षेत्र में स्थापित विधार्थी इन इच्छित पारदर्शन सम्बन्धित करने वाली विधार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएं को प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ को पूर्व से सम्बद्ध है, में एडवाइजरी/सीडीआई द्वारा सन् 2020-21 हेतु समतल अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एडवाइजरी/सीडीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पारदर्शन/प्रवेश समता के साथ सन् 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एडवाइजरी/सीडीआई द्वारा सन् 2020-21 हेतु प्रदान अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सन् 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सन् 2020-21 हेतु निम्नलिखित बातों के अन्तर्गत पारदर्शन एवं प्रवेश समता प्रदान किया हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पारदर्शन का नाम	एडवाइजरी/सीडीआई/द्वारा सन् 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सन् 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश संख्या
1	4436	कार्यालय इन्फिन्स और टेकनीकी, राजपुर प्रदेस, पी.ए. कबीरपुर, कबीरपुर।	सिद्धी इच्छित इन्फिन्स इच्छित इन्फिन्स इच्छित सिद्धी इच्छित सिद्धी इच्छित सिद्धी इच्छित सिद्धी इच्छित सिद्धी इच्छित सिद्धी इच्छित	120 80 80 80 120 30 30 15	120 80 80 80 120 30 30 15

सम्बद्धता हेतु नई

- ✓ संस्था एडवाइजरी/सीडीआई/पीसीआईआई द्वारा निर्धारित की गयी बातों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्रारम्भिक शिक्षा परिषद दिनांक 1982 संशोधन दिनांक 2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्णय समिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन वकील इच्छित पारदर्शन हेतु रु. 30,150,00/- इच्छित, दो वकील राष्ट्रीय पारदर्शन हेतु रु. 45,000,00/- इच्छित एवं एक तथा दो वकील पारदर्शन (दो वकील राष्ट्रीय पारदर्शन के अन्तर्गत) हेतु रु. 22,500,00 इच्छित मुख्य ही प्रवेश प्राप्त/प्राप्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्तों से मुख्य के सम्बन्ध में समय-समय पर साख्त प्राप्त निर्णय किये जाने वाले साख्तपूर्ण प्रकृति होने, और पारदर्शन

(Handwritten signature)

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रीम रिजॉल्व समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की महीनागत दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (2020) प्रतियोगिता शिक्षा समितियाँ तथा पंच समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये। विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जाती जो ही प्रवेश किया जायेगा। शीटों को तिला पर जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को संसद-समय पर निर्गत बालासदेव के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुलभ उत्पन्न करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआरडीसीआई/पीसीआई से आयानी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रत्येक प्रदेश शासन द्वारा कचरे गवे विधि/विधियों/अभियोगों/आयनवेदों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रतियोगिता शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद का पालन करने में तिले सत्र होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही पदचक्रम की संस्थाएँ यदि पीसीआई गई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक सत्र से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतियोगिता शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतियोगिता शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्रतियोगिता शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बर-उत्तर किया जाता है तथा उत्तर उत्तर के संस्था में जो आवश्यकता है उसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही पदचक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्था करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्देश के माध्यम से अथवा संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत महीनागत आयोजन विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, पदचक्रम, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, आकाशवाणी सुलभ आदि का विवरण उपस्था करना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-प्रतिष्ठापन हेतु उपर्युक्त आवश्यकता उपस्था करने के साथ परिषद सत्रों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पदचक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्था उपस्था गवे अभियोग, मुक्ति-समय, कार्यवाही, पदचक्रम इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदचक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तरदायी का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है-तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संपन्न किया जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में विनियमनुसार अनुपालन-समय कार्यवाही की जायेगी।

/
 (20 आरडीसी शिक्षा)
 सचिव

पृष्ठ सं- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3441

तारीख: 15-09-2020

प्रतिलिपि-उपस्थाकार्य/निर्देशक, काजीनवा इस्टीमेट ऑफ देकनोलीपी, सार्वद नगर, पीठ बाकीसुर, काजीपुर।

/
 (20 आरडीसी शिक्षा)
 सचिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय कार्डिनल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंट्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संव्य हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंटों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित बंटों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 4436-KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SANAND NAGAR, POST BAKIKHURD, GHAZIPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	TEXTILE ENGINEERING	30	30
7	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
8	INFORMATION TECHNOLOGY	15	15

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा स्कूल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित स्कूल तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹०- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पर्यायी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यायी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष स्कूल ही प्रत्येक छात्र छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से स्कूल के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्मित किये जाने वाले सवानोटस प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाये आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु कीस का पुनर्विचारण किया जाता है, जो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों

का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित वासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आवासीय एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/वासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद काउन्सिल को उपलब्ध कराना होगा अतः उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वास्तविक उपलब्ध बनाने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, जर्नीवर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

ए०सं०- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/03/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANAND NAGAR, POST BAKIKHURD, GHAZIPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यलय**प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद****उत्तर प्रदेश, मछनऊ**

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

मछनऊ: दिनांक- 30/08/2022

:-कार्यलय आज:-

प्रकृत संघर्षीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कर्मोकी कउडिगल ओक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीथिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय लक्ष्योकी शिक्षा संस्थाओ की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपराल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा ही सम्बद्धता/सम्बद्धता विरलर प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 की परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओ की सम्बद्धता पूर्व से संघनित संस्थाओ की सम्बद्धता विरलर पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गयी पर विचार करले हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विरलर प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिरे तरे निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियुक्तित कर्मी के अर्पण पाठ्यक्रम एवं आगे अर्पण प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विरलर प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4436-KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटी/टी/सी/पी/सी/आई/टी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
7	INFORMATION TECHNOLOGY	15	15
8	TEXTILE ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटी/टी/सी/पी/सी/आई/टी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकी 1992, विनियमनकी-2000, संशोधन विनियमनकी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत कउडिगलओ का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मोकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मोकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक आगच्छात से प्रथम निम्न जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आगच्छातओ की शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलल द्वारा निर्गत किये जाने वाले कउडिगलओ प्रकाशी होगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीथ निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु वीथ का पुनर्निर्धारण किया जलत है, तो वीथ की नवीनकरण ही लागू होगी।

✓

- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश साक्षात्कार के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश विधि/विद्यार्थी/अधिनिर्देश/साक्षात्कार/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा कसबे नये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में न्यायवाचक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कठिननिर्देशित कार्य करने के पूर्व ए0आइ0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कठिननिर्देशित के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्देश नवीनतम आदेशानुसार निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, राज-संरचना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, (प्रकारगत सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वास्तुकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर होकर के सम्बन्ध में समस्त आवाश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आगत, पत्नीधर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकारमालीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-संरचना ए0आइ0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्तव्य का अनुपालन न किये जाने अथवा कर्तव्य का अनुपालन किये जाने की स्थिति में निरन्तर अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(ए0आइ0टी0ई0पी0सी0आई0)

सचिव

पु0सं0- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8456

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

पठनाचार्य/निदेशक KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(ए0आइ0टी0ई0पी0सी0आई0)

सचिव